



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुरकर प्रकरण क्रमांक 22/2006

याचिकाकर्ता

आयकर आयुक्त, बिलासपुर।

बनाम

उत्तरवादी:

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, जबलपुर एवं अन्य।

विचारार्थ निर्णय

माननीय न्यायाधीश श्री राधे श्याम शर्मा

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

सही/-

आर. एस. शर्मा
न्यायाधीश

8 नवंबर, 2011 को निर्णय सुनाए जाने के बाबत

सही/-

6-11-2011





छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कर प्रकरण क्रमांक 22 वर्ष 2006

याचिकाकर्ता

आयकर आयुक्त, बिलासपुर।

बनाम

उत्तरवादी:

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण,

जबलपुर एवं अन्य।

आयकर अधिनियम 1961 के धारा 260-A के अधीन अपील।

युगल पीठ: माननीय श्री सतीश के मिश्रा एवं

माननीय श्री राधे श्याम तिवारी, न्यायाधीशगण

उपस्थित:

याचिकाकर्ता की ओर से: श्री राजेश श्रीवास्तव, अधिवक्ता

श्री समीर श्रीवास्तव, अधिवक्ता

उत्तरवादी क्रमांक 2 और 3 / करदाता की ओर से: श्री एल एल शर्मा, अधिवक्ता

श्री आनंद दादरिया, अधिवक्ता

**आदेश****(8 नवंबर, 2011 को पारित)**

न्यायाधीश सतीश के. अग्निहोत्री

आयकर आयुक्त, बिलासपुर (जिसे आगे राजस्व कहा जाएगा) द्वारा आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, जबलपुर (संक्षेप में न्यायाधिकरण) द्वारा एल.टी.ए. क्रमांक 301/जेएबी/1999में पारित आदेश दिनांक 19.04.2006 के विरुद्ध तत्काल अपील दायर की गई।

राजस्व की अपील इस न्यायालय द्वारा 13.02.2007 को निम्नलिखित

महत्वपूर्ण विधिक प्रश्नों पर स्वीकार की गई:

(1) क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर माननीय आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, निर्धारण वर्ष 1992-037 के लिए आयकर अधिनियम की धारा 69 और 69 (सी) के अर्थ के भीतर करदाता द्वारा दिए गए अघोषित ऋण के रूप में करदाता की कुल आय में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जोड़ी गई 19,30,000/-रूपये की राशि को हटाने में विधिक रूप सही था ?



(2) क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर माननीय आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण का यह मानना विधिक रूप से उचित था कि आरोपित राशि करदाता की होटल परियोजना की जांच के लिए थी, जबकि वास्तव में, आज तक अर्थात् अप्रैल 1999 की तलाशी के 11 वर्ष बाद तक ऐसा कोई होटल न तो निर्मित हुआ था और न ही अस्तित्व में था ?

(3) न्यायाधिकरण का आदेश विकृत और अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत

होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

3. संक्षेप में, पूर्वोक्त विधि के सारवान प्रश्नों के न्यायनिर्णयन हेतु प्रासंगिक तथ्य यह है कि करदाता नरेश वासन के व्यावसायिक एवं आवासीय परिसर की तलाशी अप्रैल, 1995 में आयकर अधिनियम, 1961 (संक्षेप में अधिनियम, 1961) की धारा 132(1) के अंतर्गत राजस्व विभाग द्वारा ली गई थी। तलाशी के दौरान, एक एलआईसी डायरी प्राप्त हुई, जिसके पृष्ठ 36 पर उन व्यक्तियों की सूची थी जिनके विरुद्ध विभिन्न राशियों का उल्लेख निम्नलिखित है:

(1) हरिभाई (उमिया हार्डवेयर)	500000/-
(2) नानजीभाई	100000/-



(3)हरिभाई	150000/-
(4)जी.ए.स्वामी	100000/-
(5)मनोहरलाललंबा	40000/-
(6)मोहनवासन	400000/-
(7)रोमी नरेंद्र बिद्र	40000/-
(8)बस्सीके,नायर	250000/-
(9)अमरसिंहचावला	150000/-
(10)राजनारायणसिंह	100000/-
(11)नकद	100000/-
कुल रू.	1930000/-

सही-न्यायाधीश दिलीप रावसाहेब देशमुख



अधिनियम, 1961 की धारा 143 के तहत एक नोटिस 11.02.1997 को मूल्यांकन अधिकारी (संक्षेप में ए.ओ.) द्वारा करदाता को जारी किया गया था, जो 19.02.1997 को करदाता को दिया गया था। करदाता ने 22.04.1997 को अपनी आय 1,60,110/- रुपये घोषित करते हुए अपना आयकर रिटर्न दाखिल किया। धारा 143(2) के तहत नोटिस जारी के होने के बाद मामले की सुनवाई हुई, जिसमें अधिवक्ताओं और लेखकारों ने भाग लिया, लिखित और मौखिक तर्क दी गई और स्पर्धीकरण भी दाखिल किए गए। करदाता का मामला यह था कि उपरोक्त डायरी में उल्लिखित राशि करदाता द्वारा पक्षों को दी गई अग्रिम राशि नहीं थी, बल्कि होटल व्यवसाय के उद्देश्य से पक्षों द्वारा अपेक्षित योगदान था। अपने दावे के समर्थन में, करदाता ने सभी व्यक्तियों के शपथपत्रों दाखिल किए, जिसमें कहा गया था कि नरेश वासन की होटल परियोजना के लिए उनके नाम के सामने उल्लिखित राशि का निवेश करने का प्रस्ताव था। ए.ओ. के अनुसार, शपथपत्रों में उन व्यक्तियों की वित्तीय स्थिति का उल्लेख नहीं किया गया था। 10 व्यक्तियों में से पाँच व्यक्तियों, राजनारायण सिंह, नानजीभाई पटेल, जगमोहन वासन, हरिभाई पटेल और श्री कुशाभराज लांबा पुत्र स्वर्गीय मनोहरलाल लांबा के बयान आयकर निरीक्षक ने



उनकी उपस्थिति में दर्ज किए। यह भी पाया गया कि पाँच व्यक्तियों में से दो, राजनारायण सिंह और नाजीभाई पटेल, आयकर दाता नहीं थे। यह भी कहा गया कि यह केवल एक प्रस्ताव था और होटल परियोजना शुरू नहीं की जा सकी क्योंकि वे धन की व्यवस्था नहीं कर सके। ए.ओ. ने पाया कि कोई भी साक्षी होटल के निर्माण के संबंध में हुई कथित बैठक की तारीख नहीं बता सका। हालाँकि, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, एस.ए.डी.ए. कोरबा के समक्ष दायर दिनांक 20.01.1992 के आवेदन की एक प्रति प्रस्तुत की गई। इस प्रकार, निर्धारण अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि करदाता की डायरी में उल्लिखित प्रस्तावित अंशदान सही प्रतीत नहीं होता, बल्कि यह करदाता द्वारा उक्त व्यक्तियों को दिया गया ऋण था। यह माना गया कि राशि अस्पष्ट रही और इसलिए 19,30,000/-रूपये की राशि करदाता की आय में जोड़ दी गई।

4. इसके खिलाफ, करदाता ने आयकर आयुक्त (संक्षेप में सीआईटी (ए)) के समक्ष अपील की। सीआईटी (ए), सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि उपरोक्त कथित राशि, करदाता द्वारा दिए गए ऋण का प्रतिनिधित्व नहीं करती है और ए.ओ. यह मानने में उचित नहीं था कि 19,30,000/-रूपये की राशि करदाता के अघोषित निवेश का प्रतिनिधित्व करती है, और इस प्रकार, उपरोक्त



कथित राशि के अतिरिक्त को हटा दिया गया। यह भी देखा गया कि व्यक्तियों ने होटल परियोजना में भाग लेने की इच्छा दिखाई है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वे धन के संभावित स्रोत को सूचित नहीं कर सके, प्रतिकूल विचार नहीं लिया जा सकता है। इन व्यक्तियों की साख पर संदेह नहीं किया जा सकता है। सीआईटी (ए) ने न केवल पृष्ठ 36 बल्कि डायरी के पृष्ठ 35 को भी संदर्भित किया है जहां भोजन आदि की तैयारी के संबंध में कुछ चर्चा हुई थी। एस.ए.डी.ए.कोरबा ने भी करदाता के इस तर्क की पुष्टि की कि वह अन्य लोगों के साथ मिलकर, वह मेसर्स श्री ओमप्रकाश सत्यपाल कांटेक्टर के स्वामित्व वाली एक भूखंड पर होटल परियोजना में रुचि रखते थे। सीआईटी (ए) द्वारा करदाता की व्यावसायिक योजना की भी जांच की गई। इस प्रकार, अंत में यह निष्कर्ष निकाला गया कि 19,30,000/-रूपये की पूरी वृद्धि इस धारणा पर आधारित थी कि डायरी के पृष्ठ 36 पर की गई प्रविष्टियां करदाता द्वारा व्यक्तियों को दिए गए ऋण का प्रतिनिधित्व करती हैं। कुछ व्यक्तियों द्वारा दिए गए शपथपत्रों, में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि उन्होंने न तो करदाता को कोई ऋण दिया है और न ही लिया है, लेकिन उन्होंने करदाता की होटल परियोजना में राशि का निवेश करने का प्रस्ताव दिया है। इस प्रकार, शपथपत्रों को अस्वीकार करना उचित नहीं था। तदनुसार, ए.ओ. के आदेश को



अलग रखा गया और यह माना गया कि 19,30,000/-रूपये की राशि करदाता के अघोषित निवेश का प्रतिनिधित्व नहीं करती है।

5. आयकर आयुक्त (ए) द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध राजस्व विभाग ने न्यायाधिकरण में अपील दायर की। राजस्व विभाग द्वारा दायर अपील में न्यायाधिकरण के समक्ष प्रश्न यह था कि क्या आयकर आयुक्त (ए) ने अघोषित स्रोत से आय में ए.ओ. द्वारा जोड़े गए 19,30,000 रूपये को हटाने में कोई गलती की थी। न्यायाधिकरण ने सभी तथ्यों पर फिर से विचार करने के बाद यह माना

कि अतिरिक्त आय को हटाने में आयकर आयुक्त (ए) द्वारा बताए गए कारण उचित

और ठोस थे। पृष्ठ 36 पर की गई 11 प्रविष्टियों में 10 अलग-अलग नाम लिखे गए

थे और एक प्रविष्टि के सामने केवल नकद शब्द लिखा था, जिससे यह माना गया

कि उसमें उल्लिखित राशि व्यक्तियों के ऋण के रूप में दी गई थी, जो उचित नहीं

है। व्यक्तियों द्वारा दायर शपथपत्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि उन्होंने होटल

परियोजना के लिए योगदान देने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन दोनों पक्षों को कोई

धनराशि प्राप्त नहीं हुई। इस प्रकार, यह सुझाव नहीं देता है कि ऋण राशि उन्हें

करदाता द्वारा दी गई थी। इसके अनुसार, आयकर आयुक्त (ए) द्वारा दर्ज किए गए





निष्कर्षों की पुष्टि की गई और राजस्व विभाग द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया।

6. राजस्व पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री समीर श्रीवास्तव के साथ उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव श्रीवास्तव ने तर्क प्रस्तुत किया कि सीआईटी (ए) के साथ-साथ न्यायाधिकरण ने आयकर नियम, 1962 (संक्षेप में नियम, 1962) के नियम 46 का उल्लंघन करते हुए अतिरिक्त साक्ष्य अर्थात् शपथपत्रों को स्वीकार करने में गलती की है। अपने तर्क के समर्थन में, यह आयकर आयुक्त बनाम हाई-टेक

एब्रेसिक्स लिमिटेड' में इस न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया है। श्री श्रीवास्तव ने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि पुष्टिकारी साक्ष्यों के अभाव में शपथपत्रों पर विश्वास नहीं किया जा सकता था क्योंकि अन्य परिस्थितियों ने स्पष्ट रूप से सुझाया था कि शपथपत्रों के बयानों को सत्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था।

दूसरे पक्ष द्वारा इनकार न करना अपने आप में शपथपत्रों की सत्यता स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। अपने तर्क के समर्थन में श्री श्रीवास्तव ने अलाहाबाद उच्च न्यायालय ने श्री कृष्णा बनाम आयकर आयुक्त एवं अन्य² के निर्णय का अवलंब लिया है। श्री श्रीवास्तव ने आगे तर्क दिया कि नकद ऋण के

1 कर प्रकरण क्रमांक 19/2009, 22.02.2010 को निर्णीत

2 2.(1983) 142 आई.टी.आर 618 (सभी)



मामले में, करदाता को ऋणदाता की पहचान, ऋण देने की उसकी क्षमता और लेन-देन की वास्तविकता साबित करनी आवश्यक थी। वर्मान मामले में, करदाता इस दायित्व का निर्वहन करने में बुरी तरह विफल रहा। श्री श्रीवास्तव ने राजस्थान उच्च न्यायालय के एक निर्णय का अवलंब लिया है।

राजश्री सिंथेटिक्स (प्रा.) लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त एवं अन्य।

7. श्री श्रीवास्तव आगे यह भी तर्क देंगे कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पाई गई अघोषित और अस्पष्टीकृत आय के संबंध में करदाता द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं

दिया गया था, इसलिए कर निर्धारण अधिकारी ने उसे करदाता की कुल आय में जोड़कर उचित ही किया था। इस तर्क के समर्थन में, वे मेसर्स महेश इक्सपट उद्योग बनाम आयकर आयुक्त, रायपुर मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का अवलंब लिया है।

8. दूसरी ओर, उत्तरवादी/करदाता की ओर से उपस्थित विद्वाना वकील श्री एल.एल.शर्मा और विद्वान अधिवक्ता श्री आनंद दादरिया ने प्रस्तुत किया कि डायरी के पृष्ठ 36 पर दर्ज निष्कर्ष तथ्यात्मक निष्कर्ष हैं और इस अपील पर विचार करने में कोई विधिक प्रश्न नहीं उठता। पृष्ठ 36 पर दर्ज प्रविष्टि किसी भी तरह से यह संकेत नहीं करती है कि ऐसे नामों के सामने दिखाई गई राशि उन्हें दिया गया



ऋण था। इन सभी व्यक्तियों ने करदाता द्वारा की गई प्रस्तुतियों की पुष्टि करते हुए शपथपत्रों दायर किए थे। आयकर निरीक्षक द्वारा की गई जांच में भी, जिन व्यक्तियों की जांच की गई, उनमें से किसी ने भी कहीं भी यह स्वीकार नहीं किया कि उन्होंने करदाता से या उसे कोई ऋण लिया या दिया है। ऐसा कोई अन्य साक्ष्य नहीं है जो सीआईटी (ए) द्वारा दर्ज और न्यायाधिकरण द्वारा पुष्टि किए गए किसी अन्य निष्कर्ष की ओर ले जा सके।

सहायक आयकर आयुक्त बनाम राजाराम एवं ब्रदर्स के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह माना था कि कुछ खुले कागजों और दस्तावेजों की जब्ती के कारण विभिन्न शीर्षकों के तहत जोड़ने/हटाने से संबंधित मुद्दे तथ्य के प्रश्न हैं और इसमें विधि की कोई व्याख्या शामिल नहीं है। वह आयकर आयुक्त बनाम एस.सी.सेठी में राजस्थान उच्च न्यायालय के एक फैसले का भी अवलंब दे रहे हैं जिसमें यह माना गया था कि न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष, तथ्य का निष्कर्ष होने के कारण, विधि के प्रश्न को जन्म नहीं देता है। आयकर आयुक्त बनाम कैलाश चंद शर्मा मामले में भी ऐसा ही माना गया था। श्री शर्मा ने आगे तर्क दिया कि बिना पुष्टिकारी साक्ष्य के केवल नोटिस के आधार पर आय को नहीं जोड़ा जा सकता है। इस दावे के समर्थन में, वह आयकर आयुक्त विशाल रबर



प्रोडक्टस मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक फैसले का अवलंब लिया है।

9. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने, उनके द्वारा प्रस्तुत तर्कों और संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले में मूल प्रश्न यह है कि क्या ए.ओ. का निष्कर्ष, जिसे सीआईटी (ए) ने खारिज कर दिया था और न्यायाधिकरण ने पुष्टि की थी, न्यायासंगत और उचित था। इसमें कोई विवाद नहीं है कि ए.ओ. ने पृष्ठ 36 पर डायरी में उल्लिखित

प्रविष्टियों के आधार पर निष्कर्ष दर्ज किया था। ए.ओ. ने नामित व्यक्तियों द्वारा दायर शपथपत्रों की विषयवस्तु और यहाँ तक कि जाँच में भी पूरी तरह से अनदेखी

की है। आयकर निरीक्षक द्वारा यह नहीं पाया गया कि करदाता द्वारा स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित होटल प्रोजेक्ट में उनके प्रस्तावित योगदान के संबंध में कोई संदेह था। यह एक ऐसा मामला है जहां यह कही भी नहीं पाया गया कि पार्टियों के बीच राशि का कोई वास्तविक लेनदेन हुआ था। यह केवल एक प्रस्ताव प्रतीत होता है जहां अन्य व्यक्तियों ने, जैसा कि उन्होंने अपने शपथपत्रों में कहा है, होटल प्रस्ताव के लिए योगदान करने की इच्छा व्यक्त की। इस प्रकार, भले की धन का स्रोत नहीं दिया गया हो कि धन की व्यवस्था कैसे की जाएगी, शपथपत्रों को



अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। सीआईटी (ए) के साथ-साथ न्यायाधिकरण ने सभी तथ्यों पर विस्तार से विचार किया है और 19,30,000/-रूपये की राशि को जोड़ने की अनुमति नहीं देने के निष्कर्ष पर पहुंचे हैं।

10. अगला प्रश्न कि क्या राजस्व द्वारा नियम 1962 के नियम 46 का उल्लंघन नहीं किया गया है, को कोई आधार नहीं है क्योंकि सभी साक्ष्यों पर ए.ओ. के समक्ष चर्चा की गई थी और सीआईटी (ए) कार्यवाही के चरण में था न्यायाधिकरण के समक्ष अभिलेख पर कोई अतिरिक्त साक्ष्य नहीं लिया गया था। इस प्रकार, यह

नहीं माना जा सकता है कि नियम 1962 के नियम 46 की वैधानिक आवश्यकता को कोई अनुपालन नहीं था। इसके अलावा, राजस्व को हाई-टेक एब्रेसिक्स लैंड में

इस न्यायालय के फैसले से कोई सहायता नहीं मिलती है। राजस्व द्वारा उद्भूत

अन्य फैसले भी मामले के तथ्यों में कोई प्रासंगिकता नहीं रखते हैं क्योंकि ऐसी

कोई परिस्थिति नहीं थी जो यह सुझाव दे कि शपथपत्रों में दिए गए बयान को सच

नहीं माना जाना चाहिए। श्री कृष्णा और राजश्री सिंथेटिक्स (पी) लिमिटेड का

फैसला भी इस मामले में कोई सहायता नहीं करता है।



11. इसमें कोई विवाद नहीं है कि यह विशुद्ध रूप से तथ्यों के मूल्यांकन का प्रश्न है क्योंकि यह साक्ष्यों के उचित मूल्यांकन पर आधारित है। ए.ओ. के निष्कर्ष को सही रूप से त्रुटिपूर्ण माना गया। तथ्यों के मूल्यांकन में कोई विकृति नहीं है।

12. विधि का सारवान प्रश्न तभी विचारणीय होता है जब तथ्यों के निष्कर्ष में विकृतियाँ हों। विजय कुमार तलवार बनाम आयकर आयुक्त, दिल्ली के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

23. तथ्य की खोज, अन्य बातों के साथ-साथ, विधि के किसी सारवान

प्रश्न को जन्म दे सकती है, यदि निष्कर्ष किसी साक्ष्य पर आधारित न हो और या उक्त निष्कर्ष पर पहुँचते समय, प्रासंगिक स्वीकार्य साक्ष्य पर विचार न किया गया हो या अस्वीकार्य साक्ष्य पर विचार किया गया हो या साक्ष्य का मूल्यांकन करने में विधिक सिद्धांतों का प्रयोग न किया गया हो, या साक्ष्य को गलत पढ़ा गया हो।

देखें मदन लाल बनाम गोपी, नरेन्द्र गोपाल विद्यार्थी बनाम रजत विद्यार्थी, सीमा शुल्क आयुक्त बनाम विजय दशरथ पटेल, मेट्रोआर्क लिमिटेड बनाम सीसीई और पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग बनाम सीईएससी लेडी।

13. इस न्यायालय ने आयकर आयुक्त, रायपुर बनाम श्री मंगुलचंद पारेख, जी.ई. रोड, राजनांदगांव मामले में निम्नानुसार टिप्पणी की थी:



30. उपरोक्त कथित के अनुसार, हमारा यह सुविचारित मत है कि आयकर आयुक्त (ए) द्वारा दर्ज और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पुष्टि किए गए निष्कर्ष तथ्यों के समुचित मूल्यांकन पर आधारित हैं विकृत नहीं है, क्योंकि ये प्रत्येक लेन-देन से संबंधित हैं। इस प्रकार, यह विषय विशुद्ध रूप से तथ्यों का प्रश्न है। इसमें विधि का कोई प्रश्न विद्यमान नहीं है।

उपरोक्त कंडिकाओं में तथ्यों के अनुसार अभिवचन लिया गया है ।

31. परिणामस्वरूप, दोनों अपीलें योग्यता से रहित होने के कारण

खारिज किये जाने योग्य हैं।

14. वर्तमान अपील केवल तथ्यों के प्रश्न पर आधारित है, क्योंकि तथ्यों का निर्धारण आयकर आयुक्त (कर) द्वारा किया जा चुका है और न्यायाधिकरण द्वारा इसकी पुष्टि की जा चुकी है। इस प्रकार, यह केवल तथ्यों का प्रश्न है और आयकर अधिनियम की धारा 260-ए के अंतर्गत विचारणीय कोई विधि का प्रश्न, या विधि का कोई भी सारवान प्रश्न, इस मामले में उत्पन्न नहीं होता है।

15. तदनुसार अपील खारिज की जाती है। व्यय के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं किया जा रहा है।



सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

सही/-

आर.एस. शर्मा

न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By **AMIT TIWARI**